समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री सच्चिदानन्द सिंह, पिता--स्व0-तारणी प्रसाद सिंह, सा0-वार्ड नं0-14 मधेपरा, पो0+थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 4/2009 (मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-123066 धारित है। उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला सिंह, पति स्व0- सच्चिदानन्द सिंह, सा0-वार्ड नं0-14 मधेपरा, पो0+थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति स्व0-सच्चिदानन्द सिंह की मृत्यु दिनांक 07.10.2015 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्रीमती निर्मला सिंह, पति स्व0-सच्चिदानन्द सिंह द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पति स्व0 सच्चिदानन्द के नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 4/2009 को रद्द किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित दो नाली बन्दूक संख्या-123066 को मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदिका श्रीमती निर्मला सिंह, पति स्व0-सच्चिदानन्द को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जाम किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या-123066 को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 1351 /वि0, मधेपुरा, दिनांक 02/11/2015 .

प्रतिलिपि : श्रीमती निर्मला सिंह, पति स्व0-सच्चिदानन्द सिंह, सा0-वार्ड नं0-14 मधेपुरा, पो0+थाना-मधेपुरा, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।